

(भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 02/2023-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2023

सा.का.नि.(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 50/2017 सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो संख्यांक सा.का.नि. 785 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

I. सारणी में, -

(1) क्रम सं. 16 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी”;

(2) क्रम सं. 26क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“26ख.	0802 99 00	पेकान नट्स	30%	-	”;

(3) क्रम सं. 54 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“54क.	1504 20	अक्वाटिक फीड विनिर्माण में उपयोग के लिए मत्स्य लिपिड तेल	15%	-	9”;

(4) क्रम सं.81 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“81क.	1520 00 00	एपिक्लोरोहाइड्रिन के विनिर्माण में उपयोग के लिए कच्चा ग्लिसरीन	2.5%	-	9”;

(5) क्रम सं.100 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“100क.	2102 20 00	अक्वाटिक फीड विनिर्माण में उपयोग के लिए शैवालीयप्राइम (आटा)	15%	-	9”;

(6) क्रम सं. 104क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“104ख.	2207 20 00	औद्योगिक रसायनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए डीनेचरडइथाइल एल्कोहल	शून्य	-	9
104ग.	2301 20	अक्वाटिक फीड विनिर्माण में उपयोग के लिए फिश मील	5%	-	9
104घ.	2301 20	अक्वाटिक फीड विनिर्माण में उपयोग के लिए क्रिल मील	5%	-	9
104ड.	2309 90 90	अक्वाटिक फीड विनिर्माण में उपयोग के लिए पूर्व मिश्रित विटामिन और मिनरल	5%	-	9”;

(7) क्रम सं.132 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“132क.	2529 22 00	एसिड ग्रेड फ्लोरस्पार जिसमें भार के आधार पर 97% से अधिक कैल्शियम फ्लोराइड हो	2.5%	-	-”;

(8) क्रम सं. 141 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(9) क्रम सं. 141ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(10) क्रम सं. 166 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च,2025 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी”;

(11) क्रम सं. 167 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2025 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ”;

(12) क्रम सं. 168 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च,2025 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ”;

(13) क्रम सं. 237 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च,2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ”;

(14) क्रम सं. 280 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“280क.	4011 30 00	क्रम सं. 279 और क्रम सं. 280 के अधीन आने वाले मालों से भिन्न सभी माल	2.5%	-	”;

(15) क्रम सं. 325 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी”;

(16) क्रम सं. 340 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च,2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं

होगी ”;

(17) क्रम सं. 341 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च,2025 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ”;

(18) क्रम सं. 341क के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च,2025 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ”;

(19) क्रम सं. 345क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“345ख.	7102, 7104	प्रयोगशाला में बने रफ हीरों के विनिर्माण में उपयोग के लिए बीज परंतु इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई बात 1 फरवरी, 2025 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।	शून्य	-	9”;

(20) क्रम सं. 354 के सामने, स्तंभ (4) में, “11.85%” प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(21) क्रम सं. 355 के सामने, स्तंभ (4) में, “6.1%” प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(22) क्रम सं. 356 के सामने, स्तंभ (4) में, दोनों स्थानों पर “12.5%” प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(23) क्रम सं. 357 के सामने, स्तंभ (4) में, “7.5%” प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(24) क्रम सं. 357क के सामने, स्तंभ (4) में, “12.5%” प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(25) क्रम सं. 357ख के सामने, स्तंभ (4) में, “7.5%”, प्रविष्टि के स्थान पर “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(26) क्रम सं. 364ख के सामने, स्तंभ (2) में, “7107 00 00, 7109 00 00, 7111 00 00, 7112, 7118” प्रविष्टियों के स्थान पर, “7107 00 00, 7109 00 00, 7110 11 10, 7110 11 19, 7110 19 00, 7110 21 00, 7110 29 00, 711041 00, 7110 49 00, 7111 00 00, 7112, 7118” प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(27) क्रम सं. 368 के सामने, स्तंभ (3) में, “2023” अंकों के स्थान पर, “2024” अंक रखे जाएंगे ;

(28) क्रम सं. 374 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी”;

(29) क्रम सं. 375 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ”;

(30) क्रम सं. 405 के सामने, स्तंभ (3) में, “2023”, अंकों के स्थान पर, “2025” अंक रखे जाएंगे ;

(31) क्रम सं. 406 के सामने, स्तंभ (3) में, “2023”, अंकों के स्थान पर, “2025” अंक रखे जाएंगे ;

(32) क्रम सं. 489क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“489कक.	8516 80 00	टैरिफ मद 8414 60 00 के अधीन आने वाले विद्युत किचन चिमनी के विनिर्माण में उपयोग के लिए हीट काँयल	15%	-	9”;

(33) क्रम सं. 515ख के सामने, स्तंभ (4) में “5%” प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(34) क्रम सं. 526 के सामने, स्तंभ (4) में, “30%” और “60%” प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः, “35%” और “70%” प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(35) क्रम सं. 526क के सामने, स्तंभ (4) में, “30%” और “60%” प्रविष्टियों के स्थान पर

क्रमशः “35%” और “70%” प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(36) क्रम सं. 527क के सामने, स्तंभ (3) में,अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च,2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ”;

(37) क्रम सं. 527ख के सामने, स्तंभ (3) में,अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च,2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी”;

(38) क्रम सं. 532 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“532क.	39,40,58,70,72 73,83,84,85, 87,90	सूची 36 में विनिर्दिष्ट यानों, ऑटोमोबाइल पुर्जों/संघटकों, उप प्रणाली और टायरों का जब सूची 37 में विनिर्दिष्ट परीक्षण एजेंसियों द्वारा परीक्षण और/या प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए आयात किया जाता है ।	शून्य	-	113”;

(39) क्रम सं. 543 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“543क.	8802 20 00, 8802 30 00, 8802 40 00	क्रम सं. 537, क्रम सं.540, क्रम सं.542 औरक्रम सं.543के अधीन आने वाले मालों से भिन्न सभी माल	2.5%	-	-”;

(40) क्रम सं. 559 के सामने, स्तंभ (3) में,अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च,2025 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ”;

(41) क्रम सं. 609 के सामने, स्तंभ (3) में,अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया

जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2028 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी”;

II. परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह और कि क्रम संख्याओं 17, 80क, 90, 104, 133, 139, 150, 155, 164, 165, 172, 183, 184, 188, 191, 204, 212क, 213, 238, 253, 254, 255, 257, 257क, 257ख, 257ग, 258, 259, 260, 261, 265, 269, 271, 276, 277क, 279, 280, 290, 292, 293क, 296क, 326, 329, 333, 334, 339, 345क, 353, 364क, 378, 379, 380, 381, 387, 392, 415, 415क, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 426, 428, 429, 435, 441, 442, 446, 451, 462, 463, 464, 464क, 467, 468, 471, 472, 475, 476, 477, 478, 480, 482, 489ख, 495, 497, 504, 509, 510, 511, 512, 512क, 515क, 516, 517, 519, 523क, 527, 534, 535, 535क, 536, 537, 538, 539, 539क, 540, 542, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 551, 553, 555, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 575, 577, 578क, 579, 580, 581, 583, 591, 593, 607, 607क, 611 और 612 के सामने प्रविष्टियों में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”

III. स्पष्टीकरण में, खंड (IV) और सारणी 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

IV. उपाबंध में, -

- (i) शर्त संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) शर्त सं. 9 के सामने स्तंभ 2 में “शर्त” शीर्ष के अधीन, प्रविष्टियों के स्थान पर, “यदि आयातकर्ता, सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर या विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) नियमावली, 2022 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करता है” शब्द रखे जाएंगे;
- (iii) शर्त सं. 112 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शर्त सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

“113.	यदि, (क) आयातकर्ता, आयात के समय यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष किसी अधिकारी, जो भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय में कार्यरत संयुक्त सचिव के पद से नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र इस बात को प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत करता है कि आयातित माल (उस माल के वर्णन, मात्रा और तकनीकी विनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए) का केवल परीक्षण और/या प्रमाणन के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित
-------	--

परीक्षण अभिकरणों के प्रयोग हेतु आशयित है;

(ख) आयातकर्ता, आयात के समय, आयात पतन के प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त के समक्ष बंधपत्र निष्पादित करता है, जिसके द्वारा वह स्वयं को ऊपर (क) शर्त में यथा उल्लिखित उद्देश्य से अपयोजन की दशा में ब्याज सहित अंतरीय शुल्क संदाय करने हेतु आबद्ध करता है ;

(ग) आयातकर्ता, आयात की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर ऐसा परीक्षण और/या प्रमाणन करता है, जिसे आयात पतन के प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा तीन मास की अन्य अवधि के लिए, आयातकर्ता के ऐसे विस्तार के निवेदन के कारण देते हुए लिखित अनुरोध पर, विस्तारित किया जा सकेगा;

(घ) आयातकर्ता, आयात की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर परीक्षण और/या प्रमाणन के पश्चात्, जहां कहीं लागू हो, माल पुनःनिर्यात करता है जिसे आयात पतन के प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा तीन मास की अन्य अवधि के लिए, आयातकर्ता के ऐसे विस्तार के निवेदन के कारण देते हुए लिखित अनुरोध पर, विस्तारित किया जा सकेगा;

(ङ) माल परीक्षण के अनुक्रम में स्क्रेप हो जाता है और इसलिए उसे परीक्षण या/और प्रमाणन के पश्चात् पुनःनिर्यात नहीं किया जाता तो आयातकर्ता ऐसे माल के आयात पतन के प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त के समक्ष इस बाबत प्रमाण प्रस्तुत करता है कि यान या यानों के भागों/ई-अपशिष्ट का पुनःचक्रण कर दिया गया है,-

(i) ईजन या यान को स्क्रेप किए जाने की दशा में, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा उस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा ;

(ii) ई-अपशिष्ट की दशा में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित विक्रेताओं द्वारा;

(iii) अन्य माल की दशा में, संबद्ध अधिसूचित परीक्षण एंजेसी के प्रमुख द्वारा माल को स्क्रेप कर दिया गया है ;

(च) आयातकर्ता, आयात, उपयोग और स्क्रेप करने संबंधी उचित लेखा बनाता है और ऐसे लेखे को आवधिक रूप से ऐसे माल के आयात पतन के प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त को ऐसी रीति में जो ऐसे माल के आयात पतन के सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा विहित की जाए, प्रस्तुत करता है;

V. सूची 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सूचियां और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“सूची 36 (सारणी के क्रम सं. 532क को देखिए)

- (1) डीज़ल बस
- (2) डीज़ल हाइब्रिड बस
- (3) पेट्रोल हाइब्रिड बस
- (4) इलैक्ट्रिक बस
- (5) उपशीर्ष 870290 के अधीन आने वाली अन्य बस
- (6) पेट्रोल यात्री यान, जिनकी सिलेंडर की क्षमता 1000 सीसी के अनधिक हो
- (7) पेट्रोल यात्री यान, जिनकी सिलेंडर की क्षमता 1000 सीसी से अधिक किन्तु 1500 सीसी से अनधिक हो
- (8) पेट्रोल यात्री यान, जिनकी सिलेंडर की क्षमता 1500 सीसी से अधिक किन्तु 3000 सीसी से अनधिक हो
- (9) पेट्रोल यात्री यान, जिनकी सिलेंडर की क्षमता 3000 सीसी से अधिक हो
- (10) डीज़ल यात्री यान, जिनकी क्षमता 1500 सीसी से अनधिक हो
- (11) डीज़ल यात्री यान, जिनकी सिलेंडर की क्षमता 1500 सीसी से अधिक किन्तु 2500 सीसी से अनधिक हो
- (12) डीज़ल यात्री यान, जिनकी सिलेंडर की क्षमता 2500 सीसी से अधिक हो
- (13) पेट्रोल हाइब्रिड यात्री यान
- (14) डीज़ल हाइब्रिड यात्री यान
- (15) पेट्रोल प्लगइन हाइब्रिड यात्री यान
- (16) डीज़ल प्लगइन हाइब्रिड यात्री यान
- (17) उपशीर्ष 870380 के अधीन आने वाले इलैक्ट्रिक यात्री यान
- (18) अन्य यात्री यान
- (19) यान (40,000 यूएसडी से अधिक सीआईएफ मूल्य वाले शीर्ष 8703 के अधीन

आने वाले)

- (20) डंपर्स
- (21) 5 टन से अनधिक जीवीडब्ल्यू वाले डीजल माल यान
- (22) 5 टन से अधिक किंतु 20 टन से अनधिक जीवीडब्ल्यू वाले डीजल माल यान
- (23) 20 टन से अधिक जीवीडब्ल्यू वाले डीजल माल यान
- (24) 5 टन से अनधिक जीवीडब्ल्यू वाले पेट्रोल माल यान
- (25) 5 टन से अधिक जीवीडब्ल्यू वाले पेट्रोल माल यान
- (26) 5 टन से अनधिक जीवीडब्ल्यू वाले डीजल हाइब्रिड माल यान
- (27) 5 टन से अधिक किंतु 20 टन से अनधिक जीवीडब्ल्यू वाले डीजल हाइब्रिड माल यान
- (28) 20 टन से अधिक जीवीडब्ल्यू वाले डीजल हाइब्रिड माल यान
- (29) 5 टन से अनधिक जीवीडब्ल्यू वाले पेट्रोल हाइब्रिड माल यान
- (30) 5 टन से अधिक जीवीडब्ल्यू वाले पेट्रोल हाइब्रिड माल यान
- (31) विद्युत् चालित माल यान
- (32) अन्य माल यान
- (33) 50 सीसी तक दुपहियायान
- (34) 50 - 250 सीसी के मध्य इंजन क्षमता वाले दुपहियायान
- (35) 250 - 500 सीसी के मध्य इंजन क्षमता वाले दुपहियायान
- (36) 500 - 800 सीसी के मध्य इंजन क्षमता वाले दुपहियायान
- (37) 800 सीसी से अधिक क्षमता वाले दुपहियायान
- (38) इलैक्ट्रिक दुपहियायान
- (39) अन्य दुपहियायान
- (40) बॉडी नियंत्रण यूनिट या यान नियंत्रण यूनिट
- (41) यानों में उपयोग के लिए इन्फोटेन्मेंट सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
- (42) पैसिव एंटी पैसिव स्टार्ट
- (43) सार्वजनिक परिवहन के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम

- (44) सनरुफ
- (45) ट्रांसमिशन जिसमें 4 डब्ल्यूडी और आटोमेटिक भी है
- (46) इलैक्ट्रानिक स्टेयरिंग सिस्टम
- (47) यानो के स्पीकर और एंप्लीफायर
- (48) कंप्रेसर
- (49) हाई टेक स्विच
- (50) वर्षा और प्रकाश सेंसर
- (51) एचवीएसी सिस्टम
- (52) यानों के लिए आंतरिक और बाह्य प्रकाश
- (53) टेलीस्कोपिक फ्रंट ट्यूबस
- (54) डायनेमिक फोर्स फलैक्सिबल इंजन
- (55) सेंसर्स और कॉयल
- (56) निम्न उत्सर्जन और उच्च ईंधन दक्षता के लिए इंजन संघटक
- (57) एक्जास्ट सिस्टम
- (58) यांत्रिक सील
- (59) अनुकल्पी ईंधन सिस्टम
- (60) इंजन प्रबंध इसीयू
- (61) इलैक्ट्रो वाल्व, एक्यूमुलेटर, गेयर पंप, रोटोर तेल पंप
- (62) मोटर
- (63) हाइड्रोजन यान सिस्टम
- (64) सिलेंडर
- (65) प्लास्टिक ईंधन टैंक
- (66) वायरिंग हारनैस
- (67) हैड लेंप
- (68) एजीएस (ट्रांसमिशन) वाले शिफ्ट टावर
- (69) उपशीर्ष 87089900 के अधीन आने वाले मोटर यानों के अन्य पुर्जे और

सामग्री

- (70) सीट बेल्ट वेबिंग
- (71) साइड इन्ड्रेशन या इंपैक्ट बीम ट्यूब
- (72) टैरिफ मद 87089900 के अधीन आने वाले बॉडी पुर्जे
- (73) चालन चेन
- (74) ब्लोअर या इंजन कूलिंग या सूक्ष्म मोटर, बीएलडीसी मोटर
- (75) एक्सल सिस्टम
- (76) ई-लिफ्ट एक्सल
- (77) इलैक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित एयर सस्पेंशन
- (78) इंटेलिजेंट ट्रेलर प्रोग्राम
- (79) ड्र्यल मास फ्लार्ड वील (डीएमएफ)
- (80) लाइटिंग सिस्टम
- (81) एयरबैग
- (82). ब्रेकिंग सिस्टम
- (83) यानों में उपयोग के लिए लाइट एमेटिंग डायोड
- (84) कान्टेक्ट कॉयल-एयर बैग डिप्लायमेंट
- (85) इमोबाइलाइजर - दुपहियायान
- (86) हार्न सिस्टम और संघटक
- (87) इंटारडर
- (88) उन्नत ग्लेजिंग साल्यूशन
- (89) एलॉय पहिये (2 पहिया, 4 पहिया) सिस्टम और संघटक
- (90) इलैक्ट्रिक यान पुर्जे
- (91) उच्च वोल्टेज शक्ति वितरण यूनिट
- (92) इलैक्ट्रिक यान पंप और मोटर
- (93) इलेक्ट्रिक यान के लिए चालन यूनिट
- (94) इलेक्ट्रिक यान ट्रांसमिशन और अन्य मद

(95) टैरिफ मद 4011 10 10 के अधीन आने वाले टायर ;

सूची 37 (सारणी का क्रम सं 532 .क देखिए)

- (1) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसियेशन ऑफ इंडिया(एआरएआई), पुणे, महाराष्ट्र
- (2) इंटरनेशनल सेंटर फार ऑटोमोटिव टेक्नोलोजी(आईसीएटी), मानेसर, हरियाणा
- (3) ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर(जीएआरसी), चेन्नई, तमिलनाडु
- (4) इंडियन रबर मैनुफैक्चर्सस रिसर्च एसोसियेशन(आईआरएमआरए), थाणे, महाराष्ट्र
- (5) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रेक्स(एनएटीआरएक्स), इंदौर, मध्य प्रदेश
- (6) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट(सीआईआरटी), पुणे, महाराष्ट्र
- (7) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम(आईआईपी), देहरादून, उत्तराखंड
- (8) सेंट्रल फार्म मशीनरी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट(सीएफएमटीटीआई), बुधनी, मध्य प्रदेश
- (9) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का व्हीकल रिसर्च और डवलपमेंट एस्टेबलिशमेंट(वीआरडीई), अहमदनगर, महाराष्ट्र
- (10) नार्थ रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, हिसार, हरियाणा ।”।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगी ।

[फा सं. .334/03/2023-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना :50/2017- सीमा शुल्क, तारीख जून 30, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा.का.नि. सं. 785 (अ) तारीख 30जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना 59/2022- सीमा शुल्क, तारीख नवंबर 18, 2022 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i),में सा.का.नि. सं. 828 (अ) तारीख 18 नवंबर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।